न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्री हरिमोहन मीना, आई0ए0एस0

मि0नं0 05 /अपील (आर0टी0आई) / 2021

लोकेश नागर आ0 नन्दकिशोर, ग्राम पोस्ट हरिगढ तहसील खानपुर
बनाम
लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी,अकलेरा

अपील अन्तर्गत धारा 19सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::– दिनांकः 18.10.2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई जाने पर प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट ने अपील मेमों में निवेदन किया कि अपीलान्ट ने 01.ग्राम हरिगढ की आराजी ख0न0 209 / 1664,264 / 1708 की 1.9263 हेक्टेयर भूमि का भैरूलाल आ0 गेदीलाल गाडरी गुर्जर को सिंलिंग कृषि भूमि आवंटन बाबत आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र व संलग्न अन्य प्रमाण पत्र सहित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति 02. ग्राम हरिगढ की आराजी ख0न0 264 / 1903 की 1.214 हैक्टेयर भूमि जो केसरीलाल आ0 गेदीलाल बागरी को सिंलिग कृषि भूमि आवंटन बाबत आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र व संलग्न अन्य प्रमाण पत्र सहित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी,उपखण्ड अधिकारी अकलेरा से चाही गई थी जो उनके द्वारा उपलब्ध नही कराई गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी अकलेरा को नोटिस भिजवाया जाकर नोटिस प्राप्ति के 5 दिवस में उस आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया व इसी तरह अपीलान्ट को भी दिनांक 18.10.2021 सुनवाई की दिनांक निश्चित कर उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलान्ट को बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका।

लोक सूचना अधिकारी प्रत्यर्थी उपखण्ड अधिकारी अकलेरा द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत केम्प होने से न्यायालय हाजा में उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर करते हुए कार्यालय के कनिष्ठ सहायक को भिजवाया जाकर पत्रांकः 2921 / पी.ए. / 21 दिनांक 14.10.2021 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सिंलिग भूमि आवंटन की मूल पत्रावली कार्यालय के पत्रांक 197 / विविध / 12.02.1990 से जिला अभिलेखागार झालावाड में जमा करा दी गई है। इस बाबत पूर्व में प्रार्थी को व्यक्तिगत रूप से भी अवगत करवा दिया गया था। प्रार्थी द्वारा वांछित रेकार्ड कार्यालय हाजा में उपलब्ध नही होने से उपलब्ध नही कराया जा सकता।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी अकलेरा से चाहा गया रेकार्ड उनके द्वारा जिला अभिलेखागार में जमा करवा दिया गया है व इस बाबत अपीलार्थी को भी अवगत कराया जा चुका है। अपीलार्थी का न्यायालय में दौराने सुनवाई बावजूद सूचना उपस्थित नही होना व उपखण्ड अधिकारी,अकलेरा द्वारा अपीलार्थी को व्यक्तिगत रूप से इस बाबत अवगत कराना कि वांछित रेकार्ड जिला अभिलेखागार झालावाड में जमा कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील के माध्यम से अपीलार्थी को कोई राहत प्रदान नही की जा सकती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपीलार्थी वांछित रेकार्ड जिला अभिलेखागार,झालावाड से प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/10/2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिमोहन मीना)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड